फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

हरसहाय बनाम उम्मेदी वगै0

किस्म मुकदमा–इजराय

मु0नं0–06/2021

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि मूल वादपत्र को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.11.2020 को अदम हाजिरी में खारिज फरमा दिया गया था उक्त दिनांक को वकील बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था इसलिए प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाकर मूल वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि यह वाजदायरी ही पूर्व में अदम हाजिरी में खारिज हो चुकी है जिसे पुनः नम्बर पर लिया गया है इसलिए यह वाजदायरी चलने योग्य एवं स्वीकार योग्य नहीं है इसलिए वाजदायरी खारिज किया जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वादपत्र को न्यायालय हाजा द्वारा अदम पैरवी अदम हाजिरी मे खारिज किया गया है जिसे वादीगण पुनः नम्बर पर लाना चाहते है एवं आगामी सुनवाई चाहते है न्यायालय की राय में वादीगण को नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है तथा मूल वादपत्र को मेरिट पर निर्णित किया जाना ही न्यायोचित है इसलिए प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार की जाती है एवं मूल वादपत्र मु0न0 173/2017 में आदेश दिनांक 06.11.2020 को निरस्त किया जाता है एवं मूल वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा मूल वादपत्र में सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.03.2025 नियत की जाती है। उभयपक्ष उक्त दिनांक को मूल वादपत्र में सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	